राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.18(2)/नविवि/विविध/2024 जयपुर, दिनांकः 19 JAN 2024

आदेश

माननीय मंत्री महोदय के अशा.टीप क्रमांक रामंत्री/न.वि. एवं स्वा.शा./2024/53 जयपुर दिनांक 16.01.2024 में दिए गए निर्देशानुसार अयोध्या में श्री राम–लला की प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 22.01.2024 को दीपोत्सव आयोजन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना है। इसके दृष्टिगत विभाग के अधीनस्थ समस्त नगरीय निकायों, संस्थाओं एवं कार्यालयों द्वारा निम्न गतिविधियां की जानी है :–

1. प्रदेश की सभी नगरीय निकायों एवं संस्थाओं द्वारा अपने–अपने क्षेत्राधिकार में समस्त धार्मिक स्थलों, पार्को, पर्यटन स्थलों, कार्यालयों एवं प्रमुख स्थानों पर दिनांक 20.01.2024 से दिनांक 22.01.2024 तक विशेष सफाई अभियान चलाया जावें।
2. इस विशेष सफाई अभियान की स्पष्ट कार्य–योजना बनाकर इसमें आमजन, जनप्रतिनिधि, सामाजिक व गैर–सरकारी संगठनों तथा अधिकारी/कर्मचारियों को जोड़ा जावें।
3. श्री राम–लला की प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 22.01.2024 को सभी शहरों में दीपोत्सव हेतु उचित स्थान चिन्हित करते हुये स्थानवार प्रभारी अधिकारी एवं टीम का गठन करें।
4. चिन्हित स्थानों पर दिनांक 22.01.2024 को प्रातः काल विशेष सफाई करवाते हुए सांयकालीन दीपोत्सव आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
5. श्री राम–लला की प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 22.01.2024 को सांयकालीन दीपोत्सव कार्यक्रम में आमजन, जन प्रतिनिधियों, सामाजिक एवं गैर सरकारी संगठनों, व्यापार मण्डलों इत्यादि की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जावें।

(जुगल किशोर मीणा)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय
नगरीय विकास विभाग

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नविवि एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।

9. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका समस्त राजस्थान।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
11. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नविवि, जयपुर।
12. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
13. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय